डाक/ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

कमांकःएफ 13(10)खा.वि./आवंटन/2021 जयपुर, दिनांक : 28.04.2021

गेहूं आवंटन आदेश माह मई एवं जून, 2021
(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत)
(खाद्य सुरक्षा योजना के अतिरिक्त)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश कमांक 7–1/2019–बी.पी.–III(पार्ट) (ई–371225), दिनांक 26.04.2021 के कम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी (खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित) राशनकार्डधारियों को **05 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निःशुल्क** वितरित किये जाने बाबत पात्रतानुसार **माह मई एवं जून, 2021** हेतु गेहूं का जिलेवार उप–आवंटन संलग्न परिशिष्ट–1 एवं 2 के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत, खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न(गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। **माह मई एवं जून, 2021** के पेटे गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में उचित मूल्य दुकानवार अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी को निःशुल्क पात्रतानुसार सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था (SCM) के माध्यम से गेहूं आवंटन किया गया है।

2– खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों में से माह मार्च एवं अप्रेल, 2021 में गेहूं प्राप्त करने वाले अधिकतम लाभार्थियों की संख्या के आधार पर **माह मई एवं जून, 2021** का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

3– खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक,नागरिक आपूर्ति की होगी।

4– खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।

5– उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न(गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। ***जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेगें।***

6– जिलेवार खाद्यान्न(गेहूं) का आवंटन जिले की कुल ऑफलाईन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।

7– योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूं के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार गेहूं प्राप्त होने की पुष्टि हो सकें।

8– नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूं का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।

9– गेहूं वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

10– सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डो की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी तथा जिला स्तर से गेहूं का समर्पण नहीं किया जाए। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर –

(अ) समर्पण के प्रस्ताव जिला कलक्टर(रसद) के माध्यम से समुचित कारण (Justifications) सहित प्रेषित किए जाए।

(ब) गेहूं का समर्पण भी श्रेणीवार किया जाएगा। प्रथम श्रेणी (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल) एवं द्वितीय श्रेणी (PHH अन्य श्रेणी) में गेहूं के समर्पण का रिकॉर्ड पृथक–पृथक संधारित किया जाएगा।

11– ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पॉस मशीन में एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होगें।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्ते पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

नोटः– माह मई, 2021 हेतु आवंटित गेहूं का उठाव 31.05.2021 तक किया जाकर वितरण माह जून, 2021 में किया जावेगा एवं माह जून, 2021 हेतु आवंटित गेहूं का उठाव 30.06.2021 तक किया जाकर वितरण माह जुलाई, 2021 में किया जावेगा।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार गुप्ता)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

कमांकःएफ 13(10)खा.वि./आवंटन/2021 जयपुर, दिनांक : 28.04.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– श्री के.रॉय वर्गीस, अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश कमांक 7–1/2019–बी.पी.–III(पार्ट) (ई–371225), दिनांक 26.04.2021 के कम में

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार(खाद्य)/उपायुक्त(प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग,राज.जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
7. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
8. महाप्रबंधक(क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि **खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहू) के रिलीज आर्डर स्थानीय एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।**
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
10. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि **आवंटित गेहूं की राशि समय पर जमा कर, नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूं का शत–प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें।**
10. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

परिशिष्ट-1

PMGKAY Wheat Allotment May-2021

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	323.400	980.625	402.445	5832.165	7538.635
2	Alwar	389.455	1476.975	513.995	9286.090	11666.515
3	Banswara	833.105	2489.100	751.330	2856.070	6929.605
4	Baran	824.510	900.485	203.720	2653.460	4582.175
5	Barmer	437.600	2682.245	416.870	5525.310	9062.025
6	Bharatpur	315.010	1460.530	345.170	5472.780	7593.490
7	Bhilwara	411.175	1650.925	553.420	4424.040	7039.560
8	Bikaner	222.845	2054.740	454.660	3260.995	5993.240
9	Bundi	213.705	714.725	211.430	2368.990	3508.850
10	Chittaurgarh	471.845	971.020	623.670	2292.395	4358.930
11	Churu	469.575	1978.890	415.745	3654.370	6518.580
12	Dausa	205.665	1162.520	173.140	3986.485	5527.810
13	Dhaulpur	167.735	680.025	143.760	2763.895	3755.415
14	Dungarpur	606.820	2655.580	362.785	2205.765	5830.950
15	Ganganagar	179.195	1387.260	158.670	3696.560	5421.685
16	Hanumangarh	248.195	1080.495	190.700	3317.855	4837.245
17	Jaipur	244.710	1688.200	537.180	12246.300	14716.390
18	Jaisalmer	117.525	506.985	127.365	1221.035	1972.910
19	Jalor	459.025	1582.670	341.445	3318.565	5701.705
20	Jhalawar	300.915	1196.105	304.625	3442.225	5243.870
21	Jhunjhunun	187.015	568.810	217.075	5207.930	6180.830
22	Jodhpur	168.810	1861.310	212.195	7896.010	10138.325
23	Karauli	323.375	1497.995	275.675	2210.150	4307.195
24	Kota	163.270	1147.845	178.870	3040.590	4530.575
25	Nagaur	322.270	1423.105	386.415	8988.535	11120.325
26	Pali	365.995	1397.745	371.375	4122.230	6257.345
27	Pratapgarh	221.210	1090.580	264.440	1562.975	3139.205
28	Rajsamand	362.385	1058.185	287.370	2511.045	4218.985
29	Sawai Madhopur	287.385	884.910	312.790	2525.170	4010.255
30	Sikar	164.505	833.305	184.130	7176.320	8358.260
31	Sirohi	195.310	628.240	203.875	2553.090	3580.515
32	Tonk	315.740	906.015	376.395	3121.385	4719.535
33	Udaipur	999.260	4100.435	870.390	5109.905	11079.990
	Total	**11518.540**	**46698.580**	**11373.120**	**139850.685**	**209440.925**

(Rakesh Kumar Gupta)
Deputy Commissioner-I

परिशिष्ट-2

PMGKAY Wheat Allotment June-2021

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	323.400	980.625	402.445	5832.165	7538.635
2	Alwar	389.455	1476.975	513.995	9286.090	11666.515
3	Banswara	833.105	2489.100	751.330	2856.070	6929.605
4	Baran	824.510	900.485	203.720	2653.460	4582.175
5	Barmer	437.600	2682.245	416.870	5525.310	9062.025
6	Bharatpur	315.010	1460.530	345.170	5472.780	7593.490
7	Bhilwara	411.175	1650.925	553.420	4424.040	7039.560
8	Bikaner	222.845	2054.740	454.660	3260.995	5993.240
9	Bundi	213.705	714.725	211.430	2368.990	3508.850
10	Chittaurgarh	471.845	971.020	623.670	2292.395	4358.930
11	Churu	469.575	1978.890	415.745	3654.370	6518.580
12	Dausa	205.665	1162.520	173.140	3986.485	5527.810
13	Dhaulpur	167.735	680.025	143.760	2763.895	3755.415
14	Dungarpur	606.820	2655.580	362.785	2205.765	5830.950
15	Ganganagar	179.195	1387.260	158.670	3696.560	5421.685
16	Hanumangarh	248.195	1080.495	190.700	3317.855	4837.245
17	Jaipur	244.710	1688.200	537.180	12246.300	14716.390
18	Jaisalmer	117.525	506.985	127.365	1221.035	1972.910
19	Jalor	459.025	1582.670	341.445	3318.565	5701.705
20	Jhalawar	300.915	1196.105	304.625	3442.225	5243.870
21	Jhunjhunun	187.015	568.810	217.075	5207.930	6180.830
22	Jodhpur	168.810	1861.310	212.195	7896.010	10138.325
23	Karauli	323.375	1497.995	275.675	2210.150	4307.195
24	Kota	163.270	1147.845	178.870	3040.590	4530.575
25	Nagaur	322.270	1423.105	386.415	8988.535	11120.325
26	Pali	365.995	1397.745	371.375	4122.230	6257.345
27	Pratapgarh	221.210	1090.580	264.440	1562.975	3139.205
28	Rajsamand	362.385	1058.185	287.370	2511.045	4218.985
29	Sawai Madhopur	287.385	884.910	312.790	2525.170	4010.255
30	Sikar	164.505	833.305	184.130	7176.320	8358.260
31	Sirohi	195.310	628.240	203.875	2553.090	3580.515
32	Tonk	315.740	906.015	376.395	3121.385	4719.535
33	Udaipur	999.260	4100.435	870.390	5109.905	11079.990
Total		**11518.540**	**46698.580**	**11373.120**	**139850.685**	**209440.925**

(Rakesh Kumar Gupta)
Deputy Commissioner-I